#### 1 आपराधिक प्रकरण कमांक 78 / 2016ई फौ

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 78 / 2016 संस्थापित दिनांक 16 / 02 / 2016 फाईलिंग नम्बर 230303001812010

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र– गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

> > अभियोजन

#### बनाम

- नारायण सिंह पुत्र बंशी कुशवाह उम्र 45 वर्ष
- THE THE PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PROPERT मलखान सिंह पुत्र बंशी कुशवाह उम्र 42 वर्ष
  - रूपसिंह उर्फ रूपा पुत्र मलखान कुशवाह उम्र 24 वर्ष
  - चेतराम पुत्र बदन सिंह कुशवाह उम्र 40 वर्ष निवासीगण- ग्राम सिरसौदा थाना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

( अपराध अंतर्गत धारा – 504 एवं 325 / 34 भा०द०सं० (राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री आर0 पी0 एस0 गुर्जर)

# :- नि र्ण य-: (आज दिनांक 07.09.2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 02.02.16 को 19:30 बजे शोभालाल के पुरा के पास ग्राम सिरसौदा गोहद में रोड पर फरियादी रमेश सिंह बंघेल को अपमानित करने के आशय से गाली गलौंज कर प्रकोपित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश सिंह बघेल की लाठी , डंडों से मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेत् भा0द0सं0 की धारा 504 एवं 325 / 34 के अंतर्गत आरोप है।

संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.16 को शाम करीबन साढे सात बजे फरियादी रमेश अपने घर से मालनपुर ड्यूटी करने साइकिल से जा रहा था तो शोभालाल के पुरा के पास उसकी साइकिल फरियादी रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी इसी बात पर उसका विवाद हो गया था जिस पर रूपिसंह ने अपने घर से आरोपी नारायण, चेतराम एवं मलखान को बुला लिया था उक्त लोग लाठी डंडे लेकर आ गए थे। रूपिसंह ने उसके बांये हाथ में लाठी मारी थी एवं चेतराम ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी तथा गाली गलौंच किया था। फिरयादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अदम चैक क0 21/16 लेखबद्ध की गई थी एवं फिरयादी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था फिरयादी की चिकित्सकीय रिपोर्ट में फिरयादी के अस्थिमंग होना लेखबद्ध होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध कमांक 43/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया हैकि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।
- 5. <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :—</u>
- 1. क्या घटना दिनांक 02.02.16 को 19:30 बजे शोभालाल के पुरा के पास ग्रम सिरसौदा गोहद में रोड पर फरियादी रमेश सिंह बघेल को अपमानित करने के आशय से गाली गलौंच कर प्रकोपित किया?
- 2. क्या घटना दिनांक को फरियादी रमेश सिंह बघेल के शरीर पर उपहतिया थीं? यदि हां तो उनकी प्रकृति?
- 3. क्या उक्त उपहतियां फरियादी रमेश सिंह बघेल को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गई ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रमेशपाल आ0सा01, मोहर सिंह आ0सा02, डॉ आलोक शर्मा आ0सा03, प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन आ0सा04, बंटी आ0सा05, टी0आई0 रामनरेश यादव आ0सा06, एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा07 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रमेश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8–9 महीने पहले की है वह ड्यूटी जा रहा था उसकी साइकिल रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी तो

रूपिसंह ने उसके साथ गाली गलौंच किया था उसने भी रूपिसंह को थोडा गाली गलौंच किया था। साक्षी मोहरिसंह अ०सा०२ ने भी रूपिसंह द्वारा फरियादी रमेश से गाली गलौंच किए जाने बावत प्रकटीकरण किया है।

8. इस प्रकार फरियादी रमेश अ०सा०1 एवं मोहरसिंह अ०सा०2 ने अपने कथन में आरोपी रूपसिंह द्वारा गाली गलौंच करना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से आरोपी रमेश ने कौन से शब्द अभिवंचित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी रमेश को प्रकोपन हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा०द०स० की धारा 504 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को प्रकोपित करने के आशय से शब्द उच्चारित किए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ०सा०1 एवं मोहरसिंह अ०सा०2 ने आरोपी रूपसिंह द्वारा गाली गलौंच करना तो बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी रूपसिंह ने वास्तविक रूप से कौन से शब्द उच्चारित किए थे जिन्हें सुनकर फरियादी रूपसिंह को प्रकोपन कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भादस की धारा 504 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा०द०स० की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

- 9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ आलोक शर्मा अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 02.02.16 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आरक्षक संजय पाण्डेय द्वारा लाए जाने पर फरियादी रमेश का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने रमेश के शरीर पर दो चोटें पाई थी जिनमें से चोट क0 1 बांयी अग्र भुजा में नीलगू निशान एवं चोट क0 2 दांहिने घुटने पर छिलन का घाव स्थित था उसके मतानुसार उक्त चोटें कडी एवं मौथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अविध के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी चोट क01 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी चोट क0 2 साधारण प्रकृति की थी उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 03. 02.16 को आहत का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने फरियादी रमेश की बांयी अल्ना अस्थि में अस्थिभंजन होना पाया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है।
- 10. फरियादी रमेश अ०सा०१ ने भी अपने कथन में मारपीट में उसके हाथ में चोट आना बताया है। साक्षी मोहरसिंह अ०सा०२ ने भी अपने कथन में फरियादी रमेश के हाथ एवं पीठ में चौट आना बताया है साक्षी बंटी अ०सा०५ ने भी झगड़े के दौरान फरियादी रमेश के चोट आना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी रमेश के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। प्र०पी०1 की अदम चैक एवं प्र०पी०4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में

भी फरियादी रमेश के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ०सा०1 का कथन प्र०पी०1 की अदम चैक एवं प्र०पी०4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्ट रहा है उक्त बिंदू पर फरियादी रमेश अ०सा०1 के कथन की पुष्टि साक्षी मोहर सिंह अ०सा०2 डॉ आलोक शर्मा अ0सा03 एवं बंटी अ0सा05 द्वारा भी की गई है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उनकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी रमेश अ०सा०1 के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणाा की जाती है कि अखंडनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी रमेश के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति गंभीर थी।

### विचारणीय प्रश्न क0 3

- अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहतियां फरियादी रमेश अ०सा०१ को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आश्य के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गई थी? उक्त संबंध में फरियादी रमेश अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8 महीने पहले 2 फरवरी की सुबह साढे सात बजे की है। वह ड्यूटी पर जा रहा था। रूपसिंह की साइकिल उसकी साइकिल से टकरा गई थी तो रूपसिंह ने उसके साथ गाली गलौंच कियाथा फिर रूपसिंह ने अपने घर से भाई और चाचा को बुलाकर उसकी मारपीट की थी। रूपसिंह ने उसके सामने से लाठी मारी थी जो उसके हाथ में लगी थी चेतराम ने पीछे से लाटी मारी थी जो उसकी पीट में लगी थी। शेष दोनों आरोपीगण खंडे रहे थे रूपसिंह और चेतराम ने लाठी मारी थी गांव के दो लोग बंटी और मोहरसिंह आ गए थे जिन्हें देखकर आरोपीगण इधर उधर हो गए थे। उसके बाद उसने थाने पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र0पी01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगृटा लगाया था पुलिस 10 दिन बाद उसके घर झगडे की पृछताछ करने के लिए आई थी।
- प्रतिपरीक्षण के पद क0 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन नारायण एवं मलखान के पास लाठी थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि जब उसकी और रूपसिह की साइकिल आपस में टकराई थी उस समय रूपसिह के पास लाठी नहीं थी। साइकिल टकराने से वह और रूपसिंह गिर पड़े थे वह बांये हाथ की ओर गिरा था एवं रूपसिंह दांहिने हाथ की तरफ गिरा था जब वह गिरा था तब मोहरसिंह एवं बंटी मौजूद थे। उसकी पीठ में नीचे की तरफ चोट थी तथा गर्दन में पीछे से आगे की तरफ चोट आई थी। पद क0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह उस दिन ड्यूटी पर नहीं गया था क्यूंकि उसका हाथ टूट गया था। घटनास्थल पर रूपसिंह उसे छोडकर अपने घर चला गया था एवं अपने घरवालों को लेकर वापिस आया था उस बीच उसने किसी को बुलाया नहीं था वह वहीं खडा रहा था। पद क0 6 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका बांया हाथ साइकिल से गिरने से टूटा था एवं व्यक्त किया हैं कि लाठी की मारपीट से ट्रटा था।

- 14. साक्षी मोहरसिंह अ०सा०२ एवं बंटी अ०सा०५ ने भी फरियादी रमेश अ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की मारपीट किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।
- 15. टी०आई० रामनरेश यादव अ०सा०६ ने प्र०प्र०१ की अदम चैक को प्रमाणित किया है प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ०सा०४ ने प्र०पी०४ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा०७ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 16. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 17. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी रूपिसंह वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है रूपिसंह वा0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह रात्रि 8—9 बजे गल्ला मंडी में काम करके साइकिल से आ रहा था तो उसकी साइकिल रमेश की साइकिल से टकरा गई थी एवं वह दोनों लोग गिर गए थे गिरने से उसके व रमेश के घुटने में चोट आई थी। फिर वह घर चला गया था उसे दो—तीन दिन बाद पता चला था कि रमेश ने उसकी रिपोर्ट कर दी है उसका रमेश से कोई झगडा नहीं हुआ था रमेश गाली देकर चला गया था।
- 18. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसकी साइकिल रूपसिंह की साइकिल से टकरा गई थी तो रूपसिंह ने उसके साथ गाली गलौंच किया था फिर रूपसिंह ने अपने घर से अपने भाई एवं चाचा को बुलाकर उसकी मारपीट की थी रूपसिंह ने उसके हाथ में लाठी मारी थी तथा चेतराम ने उसकी पीठ में लाठी मारी थी शेष दोनों आरोपीगण खड़े रहे थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त कियाहै कि नारायण एवं मलखान के पास भी लाठी थी। इस प्रकार फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी रूपसिंह एंव चेतराम द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना बताया है एवं यह भी बताया है कि मारपीट में उसके हाथ के अतिरिक्त पीठ में तथा गर्दन में पीछे से आगे की ओर चोट आई थी परंतु उक्त साक्षी की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी02 में फरियादी रमेश के पीठ एवं कंघे पर चोट होने का उल्लेख नहीं है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 के कथन प्र0पी02 की चिकित्सकीय रिपोर्ट से पुष्ट नहीं है एवं उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को किंचित बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है परंतु मात्र इस आधार पर फरियादी रमेश अ0सा01 के संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।
- 19. साक्षी मोहरसिंह अ०सा०२ ने भी अपने कथन में फरियादी रमेश अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन रूपसिंह की साइकिल रमेश

की साइकिल से भिड़ गई थी तो रूपसिंह ने रमेश के हाथ में डंडा मारा था तथा चेतराम ने रमेश की पीठ में डंडा मारा था एवं नारायण और मलखान बगल में खंडे रहे थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब रूपसिंह और रमेश की साइकिल टकराई थी तो रूपसिंह एवं रमेश गिरे नहीं थे तथा यह भी व्यक्त किया है कि घटनास्थल से रूपसिंह डंडा लेने अपने घर नहीं गया था। इस प्रकार मोहरसिंह अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि रूपसिंह एवं रमेश साइकिल टकराने से गिरे नहीं थे एवं रूपसिंह डंडा लेने के लिए अपने घर नहीं गया था जबिक फरियादी रमेश अ0सा01 का कहना है कि साइकिल टकराने से वह और रूपसिंह गिर गए थे फिर रूपसिंह उसे घटनास्थल पर छोड़कर अपने घर चला गया था एवं अपने घर वालों को लेकर वापस आया था इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रमेश अ0सा01 एवं मोहर सिंह अ0सा02 के कथन परस्पर किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परंतु उक्त विरोधाभाष इतना तात्विक नहीं है जिसके कारण संपूर्ण अभियोजन कहानी को ही संदेहास्पद मान लिया जाए।

- 20. साक्षी बंटी अ0सा05 ने भी अपने कथन में आरोपीगण द्वारा रमेश की मारपीट करना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि रूपसिंह एवं रमेश की साइकिल आपस में टकरा गई थी साइकिल टकराने के बाद झगड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण के हाथ में लाठी डंडे थे। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह यह नहीं बता सकता कि किस आरोपी के हाथ में क्या था परंतु यहां यह उल्लखनीय है कि घटना दिनांक 02.02.16 की है एवं साक्षी बंटी अ0सा05 के कथन न्यायालय में दिनांक 27.12.16 को हुए हैं ऐसी स्थित में समय का लंबा अंतराल होने के कारण यह स्वाभाविक है कि साक्षी को यह याद न हो कि किस आरोपी के हाथ में क्या था परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि आरोपीगण के हाथ में लाठी डंडे थे एवं आरोपीगण ने रमेश की मारपीट की थी तथा उसने झगड़े का बीच बचाव किया था।
- 21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्र0पी01 की अदम चैक पर यह लेख नहीं है कि उस पर लगा निशानी अंगूठा फरियादी रमेश का है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि प्र0पी01 की अदम चैक में अंकित निशानी अंगूठे पर अंगूठा लगाने वाले का नाम अंकित नहीं है परंतु फरियादी रमेश अ0सा01 ने अपने कथन में प्र0पी01 की रिपोर्ट पर अपना निशानी अंगूठा होना स्वीकार किया है। टी0आई0 रामनरेश यादव अ0सा06 ने भी फरियादी रमेश की सूचना पर प्र0पी01 की अदम चैक लेखबद्ध करना बताया है। ऐसी स्थिति में प्र0पी01 की अदम चैक में फरियादी रमेश का नाम निशानी अंगूठे पर अंकित न होने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि फरियादी रमेश को आई चोटें साइकिल से गिरने से आई हैं। डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०३ ने भी यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट साइकिल से गिरने से आना संभव है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पर हो जाती है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। फरियादी रमेश अ०सा०१ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसकी

साइिकल रूपिसंह की साइिकल से टकरा गई थी एवं साइिकल टकराने से वह और रूपिसंह गिर गए थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके घुटने की चोट गिरने से आई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी रूपिसंह वा०सा01 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसकी साइिकल रमेश की साइिकल से टकरा गई थी जिससे वह दोनों गिर गए थे एवं गिरने से उसके तथा रमेश के घुटने में चोट आई थी। इस प्रकार आरोपी रूपिसंह वा०सा01 ने स्वयं साइिकल से गिरने से फिर्यादी रमेश के घुटने में चोट आना बताया है। आरोपी रूपिसंह वा०सा01 का ऐसा कहना नहीं है कि साइिकल से गिरने से फिर्यादी रमेश के बांये हाथ में भी चोट आई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फिर्यादी रमेश ने भी अपने कथन में घुटने की चोट साइिकल से गिरने से आना बताया है एवं बांये हाथ की चोट मारपीट से आना बताया है। आरोपी रूपिसंह वा०सा01 ने भी अपने कथन में साइिकल से गिरने से फिर्यादी रमेश के केवल घुटने में चोट आना बताया है इस प्रकार आरोपी रूपिसंह वा०सा01 के कथनों से ही यह स्पष्ट है कि फिर्यादी रमेश के बांये हाथ में आई चोट साइिकल से गिरने से नहीं आई थी। ऐसी स्थित में प्रकरण में आई साक्ष्य एवं स्वयं आरोपी रूपिसंह वा०सा01 के कथनों से यही प्रकट होता है कि फिर्यादी रमेश अ०सा01 को बांये हाथ में आई चोट मारपीट में आई थी।

- 23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है पंरतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है। यत रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 24. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रमेश अ०सा०1 ने आरोपी रूपसिंह एवं चेतराम द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना तथा नारायण और मलखान का मोके पर लाठी लेकर खंडे रहना बताया है एवं यह भी बताया है कि रूपसिंह ने उसके हाथ में लाठी मारी थी जिससे उसका हाथ टूट गया था उक्त साक्षी के कथन का समर्थन साक्षी मोहरसिंह अ०सा०2 एवं बंटी अ०सा०5 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। फरियादी रमेश द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गई है एवं फरियादी रमेश अ०सा०1 का कथन तात्विक बिंदुओं पर प्र०पी०1 की अदम चैक एवं प्र०पी०4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां उसके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी रमेश की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की थी।

- अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के मध्य फरियादी 26. रमेश को उपहति कारित करने का सामान्य आश्य निर्मित था एवं आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश की लाठी डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य सामान्य आशय निर्मित था अथवा नहीं उसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही संभव है। उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तृत प्रकरण में फरियादी रमेश अ०सा०1, मोहरसिह अ०सा०२ एवं बंटी अ०सा०५ के कथनों से यह दर्शित है कि घटना के समय सभी आरोपीगण मौके पर मौजूद थे एवं सभी आरोपीगण के पास लाठियां थी तथा आरोपी रूपसिंह नेफरियादी रमेश के हाथ में लाठी मारी थी जिससे रमेश को अस्थिभंग कारित हुआ था। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि सभी आरोपीगण घटना के समय मौके पर लाठियां लेकर खडे थे एवं उनके द्वारा कार्यवाही में भाग लिया जा रहा था ऐसी स्थिति में जहां कि सभी आरोपीगण लाठियां लेकर मौके पर मौजूद हों एवं उनमें से एक आरोपी के द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को अस्थिभंग कारित हुआ हो वहां यही माना जाएगा कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आश्य निर्मित था एवं सभी आरोपीगण उस कृत्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि आरोपी नारायण, चेतराम, रूपसेंह एवं मलखान मौके पर उपस्थित थे तथा रूपसिंह द्वारा की गई मारपीट से फरियादी को गंभीर उपहति कारित हुई थी ऐसी स्थिति में यही प्रकट होता है कि सभी आरोपीगण के मध्य फरियादी रमेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं आरोपी रूपसिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश की लाठी से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई थी।
- 27. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य साइकिल टकराने को लेकर आकस्मिक विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद में आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की लाठियों से मारपीट की गई थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस आयुध से फरियादी रमेश की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी रमेश को उपहित कारित होना संभव है आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी रमेश को उपहित कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी।
- 28. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.02.16 को 19:30 बजे शोभालाल के पुरा के पास सिरसौदा गोहद में रोड पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रमेश बघेल की लाठियों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति

कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी नारायण, चेतराम, मलखान सिंह एवं रूपसिंह को भादस की धारा 325 / 34 के अंतर्गत दोषी पाती है |

समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी नारायण, चेतराम, मलखान सिंह 29. एवं रूपसिंह को भादस की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भादस की धारा 325/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित 30. किया गया।

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

- आरोपीगण एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।
- आरोपीगण अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा फरियादी रमेश की मारपीट कर उसे गंभीर उपहति कारित की गई है ऐसी स्थिति में आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी नारायण, चेतराम, मलखान सिंह एवं रूपसिंह में से प्रत्येक को भा0द0स0 की धारा 325 / 34 के अंतर्गत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो-दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित करती है।
- आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए 33. जाते हैं।
- प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। 34.
- आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध मे धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं

रहे हैं।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे

स्थान — गोहद दिनांक — 07.09.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)